पत्रांक –3 /एम0–24/2018 सा०प्र०1277/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 29/11/2019

विषयः– **परिवाद संख्या–2/लोक (पशुपालन)–9/2016 श्री दया प्रसाद श्रीवास्तव बनाम निदेशक, पशुपालन में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक 8959 दिनांक 12.11.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगवर्णित पत्र द्वारा सरकारी सेवक को प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 योजना का लाभ दिये जाने से संबंधित परिवाद संख्या–2/लोक (पशुपालन)–9/2016 श्री दया प्रसाद श्रीवास्तव बनाम निदेशक, पशुपालन में माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 24.10.2018 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गई है।

2. प्रासंगिक परिवाद में पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 का कार्यकारी अंश निम्नवत है -

"Let a copy of this order be sent to the Director, Animal Husbandry Department, Patna, by e-mail. A copy of this order be also sent to the Principal Secretary, General Administration Department for ensuring similar measures to be taken by other departments for updating the consideration of A.C.P. cases with added emphasis to clear each and every such cases of A.C.P. of concerned officers and employees within a period of six months from the date of their entitlement."

3. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में किसी पदाधिकारी/कर्मी को अनुमान्य ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 पर देय तिथि से छः माह के भीतर विचार किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार वर्ष में दो बार ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 पर विचार हेतु बैठक किया जाना आवश्यक है।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेश दिनांक 24.10.2018 के अनुपालन हेतु अपने विभाग/कार्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत/सेवानिवृत कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की देयता पर विचार हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

Lokayukta, Bihar, Patna

2/Lok (Pashu) 09/2016
Sri Daya Prasad Srivastava.
Vs.
Director, Animal Husbandry.

24.10.18

Pursuant to the order dated 28.03.2018 Mr. Vinod Singh Gunjiyal, Director, Animal Husbandry is present in person and has placed reliance on his report contained in letter No. 3265 dated 23.10.2018 relevant portion whereof reads as follows :-

> "विषयः—परिवाद सं0 2/लोक पशुपालन 9/16 में श्री दयानंद प्रसाद, से0नि0 वर्ग—4 कर्मी को प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में।
> प्रसंगः—परिवाद सं0 2/लोक पशुपालन 9/16—2674/लोक, दिनांक 10—4—18
> महाशय,
> उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के परिवाद सं0 2/लोक पशुपालन 9/16—2674/लोक, दिनांक 10—4—18 के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री दयानंद प्रसाद श्रीवास्तव, से0नि0 वर्ग—4 कर्मी, जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास, सासाराम को पशुपालन निदेशालय, पटना के पत्रांक 2355 नि0, दिनांक 12—7—17 द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के आलोक में एवं पत्रांक 2746 नि0, दिनांक 24—8—17द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के उपरांत सेवांत लाभ के भुगतान सुनिश्चित करते हुए दिये गये निदेशर के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 437, दिरनिांक 5—3—18 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री श्रीवास्तव सहित कार्यालय में से0नि0 कुल 6 कर्मियों को सेवांत लाभों/सभी दावों का निष्पादन/भु गतान कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर पूर्व में भवदीय को उपलब्ध करा दी गयी है।
> पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना केपत्रांक 4094,दिनांक 1—12—17, पत्रांक 7269, दिनांक 19—12—17, 77, दिनांक 9—1—18 द्वारा दिनांक 9—8—99 से 31—3—17 तक सभी क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों में वर्ग—3 एवं 4 के मृत/से0नि0द्य/कार्यरत सभी कर्मियों के लंबित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु प्रस्ताव और लंबित नहीं रहने की स्थिति में इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया था जिसके अनुपालन में पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों प्रधान द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एवं लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

(37) (3)

विदित है कि विचाराधीन ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के स्वीकृति के क्रम में कुछ कर्मियों का सेवा सत्यापन अद्यतन नहीं रहने, वित्त विभागीय पत्र के आलोक में वेतन निर्धारण सही नहीं रहने, प्रशिक्षण अप्राप्त रहने, विभागीय परीक्षा अनुत्तीण रहने अथवा अन्य किसी कारण से विभागीय स्कीनिंग समिति द्वारा अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण ए0सी0पी0द्य/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है। विभागीय पत्रांक 2745, नि0, दिनांक 24-8-17, 2924, दिनांक 7-9-17, 3986, दिनांक 21-9-17, 3198, दिनांक 11-10-17, 3790, दिनांक 31-10-17, 7215, दिनांक 14-12-17, 628, दिनांक 28-2-18द्वारा त्रूटियों का निराकरण प्रतिवेदन निदेशालय उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेशित किया गया है।

तत्पश्चात क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में स्कीनिंग समिति के अनुशंसा उपरांत कुल 111 मामलों पर निर्णय लेते हुए 88 कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रशुपालन निदेशालय के पत्रांक 3043, दिनांक 1-10-18 के द्वारा प्रदान किया गया है। पुन दिनांक 12-10-18 को विभागीय सकीनिंग समिति की बैठक आहूत की गयी है, जिसमें 188 कर्मियों का प्रस्ताव समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, विचारोपरांत समिति द्वारा 129 कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य पाया गया। पशुपालन निदेशालय के पत्रांक 3264, नि0, दिनांक 23-10-18 द्वारा उक्त कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान की गयी है।

यह भी प्रतिवेदित करना है कि कुल लंबित 337 मामले में से 298 पर विचार कर लिया गया है एवं वर्तमान में शेष बचे 39 मामले क्षेत्रीय स्तर पर सेवापुस्तिका अप्राप्त रहने, अस्पष्ट रहने व अन्य कारणों से विचार नहीं किया जा सका। इस संबंध में भी क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः आदेशित किया गया है।"

Having regard to the progress made in clearing the old cases of A.C.P. and that now only 39 such cases have remained pending, the Institution of Lokayukta will definitely like such process to continue without any interruption or interdiction in any manner. For this purpose the office of the Director, Animal Husbandry will issue necessary circular / guideline to all its subordinate offices fixing therein a firm time limit by which the proposal for grant of A.C.P. to the concerned

officers / employees must be submitted within the stipulated time along with the relevant documents. The said circular / guideline shall also lay down the procedure for placing the matter for consideration before the Committee in terms of the A.C.P. Rule which provides for holding such meeting of the Committee twice in a year one in the month of January and the other in the month of July. The whole intention of making such rule is that whichever cases of A.C.P. have matured in last six months, the same must be placed and subjected to consideration for taking an appropriate decision. In other words all efforts should be made to consider and decide the cases of A.C.P. to all the eligible officers / employees within a maximum period of six months from the date of entitlement.

In this regard it has to be always kept in mind that benefit under the A.C.P. Rule has been provided only by way of anti stagnation removal measure and the very purpose of framing such rule shall be lost if a decision for grant of A.C.P. is not taken for years together as was earlier found in this case of Animal Husbandry Department and is still continuing in other departments.

S.O-03 (35) (J)

S.O-03

Put up this case for further enquiry and hearing on 30.04.2019 when presence of the Director, Animal Husbandry Department shall not be necessary but then he must submit his action taken report along with the copy of the circular /guideline issued in this regard with up to date position of consideration of A.C.P. cases to the eligible officers and employees of the Animal Husbandry Department.

Let a copy of this order be sent to the Director, Animal Husbandry Department, Patna, by e-mail. A copy of this order be also sent to the Principal Secretary, General Administration Department for ensuring similar measures to be taken by other departments for updating the consideration of A.C.P. cases with added emphasis to clear each and every such cases of A.C.P. of concerned officers and employees within a period of six months from the date of their entitlement.

Sd/-
(Mihir Kumar Jha)